

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम  
केस संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा ...१/...../2021

171/11/21

पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 559 के दक्षिण में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 555/01 रकबा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 554 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा भूमि संयुक्त हिस्से की खातेदारी भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि की आड में प्रार्थी की भूमि के दक्षिण सीमा की ओर करीब 35 फिट भूमि को जबरन अपनी सीमा में होना कह कर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगडा व मारपीट करने पर उतारू रहते हैं, तथा प्रार्थी की भूमि दक्षिणी सीमा की ओर निर्माण सामग्री पत्थर इत्यादि डाल रखी है, तथा हर बार निर्माण करने के लिए तैयार व तत्पर रहते हैं। अतः निवेदन किया कि अप्रार्थी को इस कदर पाबंद किया जाए कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा की दक्षिणी सीमा में व अप्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 554 व 555/1 की उत्तरी सीमा पर बिना प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर सीमाज्ञान करवा कर सीमा निश्चित किये बिना बाउन्डीवाल व अन्य प्रकार का निर्माण नही करे, सीमा निश्चित होने पर प्रार्थी को उसकी भूमि की सीमा तक की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करें, प्रतिप्रार्थी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा नही करे, कोई निर्माण तामिरात इत्यादि नही करे सीमा को खुर्दबुर्द नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, इत्यादि से करावे।

प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुन दिनांक 07.01.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर विवादग्रस्त भूमि ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कालवाड, तहसील व जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं० 559 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा में उभयपक्षों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था। उभय पक्षों की तामील पूर्ण होने के बाद अप्रार्थी 2,3,6 से 9 की 12/3/2020 को व अप्रार्थी 5 की 3/8/21 को exparty की गई व अप्रार्थी 4 का जवाब बन्द 3/8/21 को किया गया।

अप्रार्थी 1 ने अपना जवाब पेशकर प्रार्थी को आरोपों को नकारते हुए उल्लेख किया कि खसरा नंबर 559 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम कालवाड में स्थित, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। लेकिन उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि नही है, बल्कि रिहायशी उपयोग उपभोग में काम में आ रही है। जिस पर नवभारत गृह निर्माण राहकारी समिति की गिराज नगर द्वितीय आवासीय योजना बसी हुई है। वादग्रस्त भूमि एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 553, 554, 555/1, 559, 560 का सीमाज्ञान मौके पर भू-प्रबंध विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 10.09.2012 से दिनांक 08.01.2015 को किया गया। उक्त सीमाज्ञान कर व मौके पर पत्थर गाढकर डिमार्केशन लाल रंग से किया है। अतः निवेदन किया कि



सहायक कलक्टर  
जयपुर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम  
केस संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा ..G.. / 2021

क्योंकि प्रार्थी clean hands से न्यायालय में पेश नहीं हुआ  
अतः उसका वाद/प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। इस  
बाबत अप्रार्थी ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए।

1. HASTIMAL AND ORS. VS MRS. PUSHPA DEV AND ORS.  
2021(1) WLC (Raj.) UC 297
2. GOVIND MURARI VS STATE  
RLW 1972 266
3. SMT. KUNTI DEVI VS STATE OF UP & ORS.  
2010(2) CCC ALLAHABAD 139
4. VINAY KUMAR VS DEVI LAL & ORS.  
2006(2) RRT H.C. 1369
5. RAMGOPAL VS TIKARAM  
2005(1) RRT 313
6. SARASWATI DEVI VS MAHARAO BRAJRAJ SINGH  
2006-2007 (SUPP.) RRT 591
7. 2010(4) CCC 480 (A:P.)
8. 2016(1) CJ (Civ.) (Raj.) 152
9. 2010(2) CCC 139 (ALLAHABAD)
10. 2010(3) CCC 233 (BOMBAY)

इसके जवाब में प्रार्थी ने पुनः स्पष्ट किया कि मौके पर गिराज नगर द्वितीय स्कीम विकसित कि हुई है। मौके पर भुखण्ड कटे हुए है मिथ्या है प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भुमि की सीमा के मौके के गुगल ऐप से आज की लिए गये फोटोग्राफ प्रस्तुत है। जिसमें सडक इत्यादि डालकर कोई भुखण्ड नहीं काटे हुए है। भुमि की प्रकृति आज भी कृषि भूमि की है, कृषि को अकृषि भूमि को अकृषि परिवर्तन करने की प्रक्रिया भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 90क मे वर्णित है, जिसके अनुसार भूपरिवर्तन कर कृषि भुमि को अकृषि परिवर्तन करने के बाद ही कॉलोनी या अकृषि कार्य किया जा सकता है। इस कारण उक्त तर्क बेबुनियाद है। प्रतिवादीगण का यह कथन कि भू प्रबन्धक विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर के आदेश से दिनांक 08.01.2015 को सीमाज्ञान कर व मौके पर पत्थर गाढकर डिमार्केशन लाल रंग से किया था, मिथ्या है मौके पर कोई डिमार्केशन नही कि हुई है, जो सीमाज्ञान किया हुआ है उस में प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया तथा प्रार्थी की सीमा के अन्दर कोई डिमार्केशन नही है, अप्रार्थी उक्त भूप्रबन्धक की नाप के बहाने प्रार्थी की 35 फिट भुमि पर कब्जा करना चाहते है जो कतई उचित नही है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया कि जब तक प्रार्थी को

नाम  
केस

सहायक कलक्टर  
जयपुर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम ..... वगै.

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा ..a../...../2021

सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान होकर सीमा निश्चित नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के अनुतोष में वर्णितानुसार पाबन्द फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने संपूर्ण पत्रावली व प्रस्तुत बहस का गहन अध्ययन कर पाया कि यह वाद का मुख्य विषय वस्तु सीमा विवाद है, इस विवाद के चलते उभय पक्षों को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद करना आवश्यक है ताकि किसी भी पक्षकार को क्षति न हो। शेष प्रस्तुत बिन्दु कि यह भूमि कृषि है या आवासीय ? पूर्व में पूख्ता सीमा ज्ञान हो चुका है या नहीं ? मूल वाद में तनकी कायम कर साक्ष्य उपरान्त निर्णित करने के बिन्दु है जिनका निस्तारण मूल वाद में किया जाना अपेक्षित है। निर्णय कर वाद का निस्तारण अपेक्षित है। अतः न्यायालय उभयपक्षों को वाद के निस्तारण तक इस कदर पाबंद करता है कि वह अपने अपने हिस्से की भूमि पर ही काबिज रहें व एक दूसरे के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत न करें। उभयपक्ष प्रार्थी के खसरा नं० 559 व अप्रार्थी के खसरा नं० 555/01 व 554 के बीच की वर्तमान सीमा से किसी भी प्रकार की कोई तबदीली/छेडछाड न करें। इस आशय से ताफैसला उभयपक्षों को पाबंद किया जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा  
जयपुर शहर प्रथम  
2021